समाहरणालय, बक्सर

(जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)

बिहार सरकार

J. S. Pandey
District Minority Welfare Officer.
Buxar
E-Mail– dmwo.bux-bih@nic.in

प्रेस–विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इण्टरमीडिएट प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रा की सूची एवं आवंटन प्राप्त है। इस संबंध में संबंधित विद्यालय एवं महाविद्यालय को पत्र के माध्यम से सूची भी भेज दी गई है, परन्तु अभी तक छात्रा के कागजात अपूर्ण/उपलब्ध नही होनें के कारण प्रोत्साहन राशि का वितरण धीमा है। चूँकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है इसलिए इस कार्य को गम्भीरता से लेते हुए सभी संबंधित शिक्षण संस्थान अपने–अपने छात्रा के संबंधित कागजात यथाशीघ्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बक्सर में जमा करावें ताकि वितरण का कार्य शीघ्र किया जा सके। **वैसी अल्पसंख्यक छात्रा जिनके खाते में राशि नहीं जा पाई है वो सीधे अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बक्सर में संपर्क कर अपना कागजात जमा करा सकती हैं**

कुछ शिक्षण संस्थान के द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराये गये है परन्तु छात्रा का बैंक खाता का अद्यतन प्रति (Update Copy) जमा नही होने के कारण उनके खाते में प्रोत्साहन राशि नही भेजी जा सकी है। CFMS प्रणाली के अन्तर्गत वितरण कार्य हो रहा है। जिसमें बैंक खाता का अद्यतन प्रति आवश्यक है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराना है :–

1. अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति
2. प्रवेश प्रमाण पत्र की छाया प्रति
3. आवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति
4. आधार की छाया प्रति
5. बैंक पास बुक (माह फ़रवरी 2019 तक की Update Copy) की छाया प्रति
6. छात्रा का मोबाइल नंबर

वर्ष 2019 में इण्टरमीडिएट की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं एवं संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जल्द से जल्द सभी कागजात (बैंक खाता माह दिसम्बर 2019 तक की अपडेट कॉपी) जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बक्सर में जमा करें तकि शीघ्र वितरण का कार्य किया जा सके। ससमय कागजात उपलब्ध नही होने के स्थिति में छात्राओं के खाते में प्रोत्साहन राशि नही जाने के स्थिति में संबंधित शिक्षण संस्थान जिम्मेवार माने जाएगें।

विश्वासभाजन

02/3/20

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
बक्सर।

02/03/2020

02.03.2020